लोको पायलट निर्देश क्रमांक: 02/2023

विषय : गाड़ी परिचालन के दौरान चालक द्वारा अपनाई गई SHORT CUT
पधतियाँ ।

संदर्भ : CEE(OP)/Instruction 06/2023 dated 20.04.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत गाड़ी परिचालन के दौरान कर्मीदल द्वारा अपनाई जानेवाली शॉर्ट कट पददतियाँ जिसकी प्रति सलंगन है को ट्रेन संचालन के दौरान **avoid** करें ताकि **SPAD** जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके ।

मध्य रेल मंडल कार्यलय
टी.आर.ओ,विभाग नागपुर

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/LP Inst/23 दिनाक : 21.04.2023

प्रतिलिपि/-

: मु.वि.लोको.इंजी./सी.एस.एम. टी.मुंबई को सूचनार्थ।
: उप :मु.वि.इंजी./ सी.एस.एम. टी.मुंबई को सूचनार्थ।
: मं.रे.प्र/अ.मं.रे.प्र नागपुर को सूचनार्थ।
: व.मं.सं.अधिकारी नागपुर को सूचनार्थ।
: मुख्य कर्मी.नियंत्रक : समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती लें।
: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलोटों को काउन्सलिंग कर पावती हेतु।
: चा.प्र.के/अजनी : प्रशिक्षण मे शामिल करने हेतु।
: मु .क. लो.नि नागपुर: को सूचनार्थ ।

सौरभ पटेल
21/4/23

व.मं.वि.इंजी./टी.आर.ओ/नागपुर

मध्य रेल

प्रधान कार्यालय, बिजली शाखा,
दूसरा माला, पार्सल बिल्डिंग,
मुंबई छ. शि. म. ट. –400001

सं. एल.253.एसी.136.सी

दिनांकः 20.04.2023

मुख्य बिजली इंजीनिअर / परि. अनुदेश सं. 6 /2023

वरि. मं.बि.इंजी./टीआरओ/ मुंबई , भुसावल, नागपुर
वरि. मं.यां.इंजी. /फ्रेट एवं परि. / मुंबई
मं.यां.इंजी./परि./ पुणे
मं.यां.इंजी.(परि. एवं स. मा.) सोलापुर

विषयः- गाड़ी संचालन के दौरान लोको क्रू द्वारा शार्टकट तरीके अपनाने के संबंध में ।

यह नोटिस किया गया है कि ट्रेन संचालन के दौरान शॉट कट तरीके अपनाने से स्पेड हो जाता है या ट्रेन संचालन में सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। यदि लोको चालक दल ट्रेन संचालन के दौरान शॉर्ट कट पद्धति का उपयोग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो स्पेड होने की शून्य संभावना है, जो सुरक्षित ट्रेनों के संचालन की ओर ले जाती है ।

ट्रेन संचालन के दौरान अपनाए गए शॉर्ट कट तरीक़ों की सूचीः-

1. ट्रेन संचालन से संबंधित दिये जाने वाले प्रपत्रों को रोलिंग कन्डिशन में देना अथवा लेना एवं स्टेशन बिल्डिंग के सामने लोको क्रू को लोको से उतारना या चढ़ना ।
2. लोको का चार्ज लेने पर लोको लॉग बुक को सही से न पढ़ना तथा लोको से संबंधित अनियमितताओं को लोको लॉग बुक में न लिखना ।
3. ट्रेन संचालन के दौरान यदि लोको ट्रबल होता है तो सिगनल का ध्यान न देकर Trouble Shooting में व्यस्त होना ।
4. शंटिंग के दौरान रियर कैब से ड्राइविंग और वॉकी-टॉकी पर निर्देशों का पालन करना ।
5. शंटिंग के दौरान वॉकी-टॉकी पर शंटिंग सुपर वाइजर के निर्देश के आधार पर बिना किसी अधिकार के शंट सिगनल/स्टॉप सिगनल ऑन पर पास करना ।
6. इंजन या लोड स्टेबल करते समय नियमानुसार कार्रवाई न करना ।
7. ट्रेन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना ।

Scanned with OKEN Scanner

8. ट्रेन संचालन के दौरान लोको पायलट अथवा सहा.लोको पायलट द्वारा अनावश्यक बातचीत करना या ऐसे किसी कार्य में व्यस्त होना, जिससे सिग्नल पर से ध्यान भंग होने की संभावना रहती है ।
9. ट्रेन संचालन के दौरान सिग्नल का लाल अस्पेक्ट देखने पर, स्टेशन मास्टर से वॉकी-टॉकी पर बात करके लाइन क्लियर के बारे में पूछताछ करना ।
10. फाउलिंग मार्क को क्लियर किए बिना गार्ड से बात करना ।
11. स्वचलित सिग्नल या गेट सिग्नल को चालू (ON position) स्थिति में पार करते समय नियमों का पालन न करना ।
12. आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किये बिना ही ट्रेन / इंजन का प्रस्थान करना ।
13. ट्रेन के प्रस्थान होने पर ब्रेक फील टेस्ट तथा ब्रेक पॉवर टेस्ट का न करना ।
14. सिगनल अस्पेक्ट के आधार पर ट्रेन का नियंत्रण न करना तथा यह समझना कि रोलिंग में ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा ।
15. जब भी सिग्नल लोकेशन से संबंधित कोई संदेह हो तो संदर्भ के लिए सिग्नल बुकलेट का उपयोग नहीं करना । अन्य स्रोतों के आधार पर जो उस सिग्नल के बारे में भ्रम पैदा कर सकता है ।
16. लोको पायलट/सहा.लोको पायलट को टर्मिनल स्टेशन/रिलीविंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले अपना सामान समेटना नहीं चाहिए ।
17. प्रस्थान के समय, गार्ड के साथ सिग्नल का आदान-प्रदान किए बिना ट्रेन शुरू करना।
18. ट्रेन संचालन के समय दृश्यता साफ न होने पर सिग्मा बोर्ड पर ध्यान न देना ।
19. आपात स्थिति के समय, लोड से इंजन को अलग करते समय लोड़ को सुरक्षित स्टेबल नहीं करना ।
20. गाड़ी में ब्रेकिंग के लिए केवल regenerating brakes/dynamic brakes का प्रयोग करना ।
21. क्रू चेंजिंग प्वाइंट पर पहुंचते समय चलती गाड़ी में HOG की एनर्जी नोट करने के लिए पिछली कैब में जाना तथा वर्किंग कैब में Consumed एवं Regeneration एनर्जी, किमी. इत्यादि को नोट करना ।
22. ड्यूटी के लिए समय पर नहीं आना ।
23. साइन ऑन के समय संरक्षा परिपत्रों,निर्देशों आदि को ध्यान से पढ़े बिना CMS में OK करना, जिसके कारण संरक्षित ट्रेन संचालन के संबंध में नवीनतम जानकारी का अभाव होना ।
24. ट्रेन संचालन से संबंधित दिये जाने वाले दस्तावेज जैसे कॉशन ऑर्डर, ऑथोरिटीज इत्यादि को बिना पढ़े एवं समझें, जल्दबाजी में ट्रेन को शुरू करना ।

Scanned with OKEN Scanner

25. कार्यभार ग्रहण करने के बाद हेड लाइट,फ्लैशर लाइट, स्पेयर फ्यूज इत्यादी जैसी सुरक्षा सामग्री की जांच नहीं करना और बीपी/एफपी,लकड़ी के पच्चड़, अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करना ।

26. ट्रेन संचालन के दौरान समय-समय पर लोको का कॉरीड़ोर निरीक्षण तथा हॉल्ट/स्टापेज पर सेफ्टी आईटम की जांच न करना ।

27. ट्रेन संचालन के समय हाथ उठाकर तेज आवाज में सिगनल कॉल-आउट न करना ।

28. शंटिंग के दौरान उचित कैब बदलने की प्रक्रिया नहीं अपनाना ।

29. लोको अटैच करने से पहले 20 मीटर पर इंजन खड़ा न करना ।

30. ब्रेक लगाने के बाद, एएफआई की स्थिति की जांच किए बिना स्टार्टींग के लिए नॉच-अप करना ।

31. इंजन को मानवरहित (unmanned) छोड़ना ।

32. इंजन कैब में सिगरेट, अगरबत्ती इत्यादि का प्रयोग करना जिससे आग लगने की संभावना हो सकती है ।

33. बगल से पास होने वाली गाड़ी से ऑल राईट सिगनल देने वाले पासिंग स्टाफ की ओर न देखना अथवा यह समझ लेना कि सब ठीक है ।

34. इंजन को कपल करते समय यह सुनिश्चित न करना कि सीबीसी कप्लर का लॉक भली-भांती गिर गया है एवं नकल लॉक हो गया है जिससे अनकपलिंग की संभावना न रहें ।

35. न्यूट्रल सेक्शन से गुजरने के बाद यदि सिग्नल नजदीक हो तब भी पिछली कैब में जाना ।

36. बगल वाली लाइन से ट्रेन गुजरने के कारण सिग्नल न दिखने पर ट्रेन को नियंत्रित नहीं करना ।

37. गाड़ी संचालन के दौरान पाई गई अनियमितताओं को CMS में फीड़ न करना ।

38. उचित रोड लर्निंग के बिना चालक दल की बुकिंग करना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कार्य करते समय और कोई शॉट कट पद्धती अपनाया जाता है तो उसको भी संज्ञान में लाकर रोका जाएं ।

20.04.2023

(एच. एम. शर्मा)
मुख्य बिजली इंजीनियर (परि)

प्रतिलिपिः

प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर को सादर सूचनार्थ ।
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।

Scanned with OKEN Scanner